विखण्डित

112

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

नि0 - 2623 - इ - 16

प्र0क0 R ....I/15–16 निगरानी

रामवीर पुत्र नत्थी सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम, जौहा तह0 अम्बाह जिला मुरैना ....आवेदक

श्री .... (हस्ताक्षर) .... द्वारा आज दि. 5/8/16 को प्रस्तुत

(हस्ताक्षर)

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1–बालमुकन्द पुत्र नत्थी सिह

2–उदयभान सिंह पुत्र नत्थी सिंह

3–सोवरनसिंह पुत्र छिद्दू सिंह

4–जसवन्त सिंह पुत्र छिद्दू सिंह

5–श्रीराम पुत्र छिद्दू सिंह

6–लोकेन्द्र सिंह पुत्र उदयभान सिंह

समस्त जाति ठाकुर निवासी ग्राम जौहा तह0 अम्बाह जिला मुरैना

..........................अनावेदक

(हस्ताक्षर) 5/8/16

निगरानी आदेश विरूद्व आदेश दिनांक 18/07/2016 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय अम्बाह के प्र0क0 12/15–16× अ/27 अपील/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम जौहा तह0 अम्बाह जिला मुरैना में स्थित खाता 1379 सम्वत 2070 के सर्वे क0 1158 रकवा 0.48, सर्वे क0 1415 रकवा 0.27, सर्वे क0 1526 रकवा 0.27, सर्वे क0 1527 रकवा 0.13, सर्वे क0 1529 रकवा 0.14, सर्वे क0 1675 रकवा 0.46, सर्वे क0 2340 रकवा 0.58, कुल किता 7 कुल रकवा 2.33, के सोवरन व जसवन्त पुत्र छिद्दू सिंह हिस्सा 2/3 कलावती पत्नी छिद्दू सिंह बालमुकन्द रामवीर उदयभानसिंह हिस्सा 1/3 के सहस्वामी होकर आधिपत्य धारी है तथा खाता क0 1236 के सर्वे क0 495 रकवा 0.04 के श्रीराम, जसवन्त, कलावती, वालमुकन्द 1/6 बाबूसिंह 1/2 सहस्वामी होकर आधिपत्यधारी है एवं खाता क0 1239 के सर्वे क0 630 रकवा 0.16, सर्वे क0 631 रकवा 0.16 के श्रीराम, सोवरन सिंह जसवन्त 3/8 कलावती, वालमुकन्द रामवीर उदयभान 1/8 लोकेन्द्र 1/2 के भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी होकर पटवारी कागजात में अंकित है।

(हस्ताक्षर)

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.............

प्रकरण क्रमांक 2623–एक/2016 निगरानी जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभा''कों के हस्ताक्षर
5–8–16	यह निगरानी तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 12/2015–16 अ–27 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 18–7–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता एंव प्रचनलशीलता पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 12/2015–16 अ–27 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 18–7–2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार के समक्ष ग्राम जौहा की कुल किता 7 कुल रकबा 2.33 हैक्टर भूमि के बटवारे का प्रकरण तहसील न्यायालय में प्रचलित है, जिसमें आपत्ति आने पर तहसीलदार अम्बाह ने आपत्ति आवेदन पर हितबद्व पक्षकारों को सुनकर आपत्ति अमान्य करते हुये हलका पटवारी को फर्द तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देने का निर्णय लिया है । इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि आवेदक की ओर से अंतरिम आदेश दिनांक 18–7–16 की जो प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई, उसके आगे की आर्डरशीट दिनांक 27–7–17 अनुसार हलका पटवारी ने फर्द भी तैयार कर प्रस्तुत कर दी है। यदि आवेदक को फर्द पर आपत्ति है वह तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने एंव अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 12/2015–16 अ–27 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 18–7–2016 में हस्तक्षेप का औचत्य नहीं है। अत: निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। सदस्य	